

**बिहार सरकार**  
**योजना एवं विकास विभाग**

पत्रांक: यो0ले03/3-6/2023-

/यो0वि0,पटना,दिनांक

मई, 2025

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार**  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

**विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिला योजना भवन, सारण (छपरा) के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य हेतु कुल ₹ 10,15,000/- (दस लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिला योजना भवन, सारण (छपरा) के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, छपरा द्वारा प्राक्कलित राशि ₹ 14,99,700/- (चौदह लाख निन्यानवे हजार सात सौ रुपये) मात्र पर तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक 326 दिनांक 20.02.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 103 दिनांक 29.02.2024 द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) को राशि आवंटित की गयी थी। इसी क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक 1102 दिनांक 19.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर इस कार्यालय के पत्रांक 513 दिनांक 28.03.2024 द्वारा राशि प्रत्यर्पित कर दी गई एवं माह मार्च 2024 में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं होने का उल्लेख करते हुए पुनः उक्त कार्य कराने हेतु आवंटन की मांग की गई, तदनुसार विभागीय स्वीकृत संख्या-638 दिनांक 09.09.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राशि आवंटित की गई थी। पुनः जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-439 दिनांक 09.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 सारण (छपरा) से अधियाचित प्रथम किस्त के रूप में ₹1,03,234.00 (एक लाख तीन हजार दो सौ चौतीस) रुपये की विमुक्ति की गई। कार्य समाप्ति के पश्चात् शेष राशि हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से अधियाचना दिनांक 25.03.2025 को प्राप्त हुई, दिनांक 25.03.2025 को CFMS पर कार्य की गति मंद होने के कारण बिल 26.03.2025 को कोषागार भेजा गया, कोषागार द्वारा विपत्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई एवं दिनांक 31.03.2025 के पश्चात् आवंटन वापस हो गया। उक्त पत्रांक के आलोक में वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिला योजना भवन, सारण (छपरा) को विपत्र कोड-35-2053000940109 के विषय शीर्ष-2702-लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु निम्नांकित सारणी अंतर्गत नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹ 10,15,000/- (दस लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

| क्र0 | कार्यालय का नाम                  | योजना का नाम                                                | राशि          |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा) | जिला योजना भवन, सारण (छपरा) का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | ₹ 10,15,000/- |
|      | कुल                              |                                                             | ₹ 10,15,000/- |

(दस लाख पंद्रह हजार रुपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 मांग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष-0109-योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड- 35-2053000940109 के विषय शीर्ष-2702-लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सारण (छपरा) के पत्रांक 634 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक 326 दिनांक 20.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं पत्रांक-439 दिनांक 09.04.2025 के आलोक में आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. राशि के निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(तिलकेश्वर झा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-6/2023-

/यो0वि0,पटना,दिनांक

मई, 2025

प्रतिलिपि:

कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-6/2023-

376 (स्थ.)

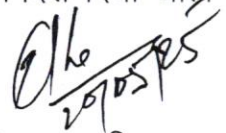
/यो0वि0,पटना,दिनांक

20 मई, 2025

प्रतिलिपि:

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा/ अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण/जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा)/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सारण (छपरा)/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।



सरकार के अवर सचिव

आ.इ.पी. ५४३५५